प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त सम्बन्धित प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
मण्डलीय/जिला/संयुक्त एवं अन्य चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सम्बन्धित प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
मण्डलीय/जिला महिला चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–19फ/2019/509 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2019

विषय– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित उपचारिकाओं के संशोधित तैनाती नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह कहना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु चयनित उपचारिकाओं की संशोधित तैनाती संलग्न सूची (क्रमॉक–01 से 04 तक) के अनुसार निर्गत किये गये है, जिसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की विभागीय वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। सम्बन्धित उपचारिका द्वारा संशोधित नियुक्ति/तैनाती पत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित वेबसाइट से पुष्टि करने के उपरान्त ही नियमानुसार योगदान आख्या स्वीकार करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(संलग्नक–उपरोक्तानुसार)

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या–निदे0नर्सिंग(कैम्प)/2019/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नियुक्त उपचारिकाओं के नियुक्त पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की विभागीय वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त चयनित उपचारिका अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अंकित वेबसाइट से अपने नियुक्ति पत्र को डाउनलोड करते हुए अपने तैनाती स्थान के नियंत्रक अधिकारी से निर्देशित मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियों सहित सम्पर्क स्थापित कर योगदान आख्या निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सुरेश चन्द्रा)
संयुक्त निदेशक (नर्सिग)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त सम्बन्धित प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
मण्डलीय / जिला / संयुक्त एवं अन्य चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सम्बन्धित प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
मण्डलीय / जिला महिला चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–19फ / 2019 / लखनऊ : दिनांक फरवरी, 2019

विषय– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित उपचारिकाओं के संशोधित तैनाती नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह कहना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु चयनित उपचारिकाओं की संशोधित तैनाती संलग्न सूची (क्रमॉक–01 से 04 तक) के अनुसार निर्गत किये गये है, जिसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की विभागीय वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। सम्बन्धित उपचारिका द्वारा संशोधित नियुक्ति / तैनाती पत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित वेबसाइट से पुष्टि करने के उपरान्त ही नियमानुसार योगदान आख्या स्वीकार करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(संलग्नक–उपरोक्तानुसार)

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या–निदे0नर्सिंग(कैम्प) / 2019 / 510-12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नियुक्त उपचारिकाओं के नियुक्त पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की विभागीय वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त चयनित उपचारिका अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अंकित वेबसाइट से अपने नियुक्ति पत्र को डाउनलोड करते हुए अपने तैनाती स्थान के नियंत्रक अधिकारी से निर्देशित मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियों सहित सम्पर्क स्थापित कर योगदान आख्या निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सुरेश चन्द्रा)
संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–19फ / 01–एन / लो0से0आ0च / 2018 / 500 लखनऊः दिनॉकः 27/02/2019

–:: आदेश ::–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज) के पत्र संख्याः–11(1) / 01 / ई–6 / 2016–17, दिनॉक 05.11.2018 के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली–2016 के नियमों व प्राविधानों के कम में संलग्न सूची में कमॉक–01 से 1656 तक उल्लिखित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति उपचारिका के पद पर (समूह 'ख') वेतनमान रू0 9300–34800 / – ग्रेड वेतन रू0 4600 / – एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900–142400 (लेवल–7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आदेश दिनांक 01.02.2019 में निहित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन की गई थी, जिसमें नव नियुक्त 04 उपचारिकाओं की संशोधित सूची कम संख्या–01 से 04 तक उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय / जनपद में तैनाती की जाती है।

उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या–19फ / 01–एन / लो0से0आ0च / 2018 / तद्दिनॉक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

2– सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

3– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–8

4– संबंधित निदेशक / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला / सॅयुक्त / महिला चिकित्सालय / मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से कि उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त अभ्यर्थियों की स्व प्रमाणित अभिलेखों को उनके मूल अभिलेखों से स्वयं मिलान कर, उन पर यह अंकन करें कि 'मूल प्रतियों से भी मिलान किया एवं सही पाया' अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक द्वारा उपलब्ध करायें, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलेखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर, अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मी का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।

5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6– संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।

8– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस सम्बन्धित जनपद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्रा)
संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–19फ / 01–एन / लो0से0आ0च / 2018 /   लखनऊः दिनॉकः 27/02/2019

–:: आदेश ::–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज) के पत्र संख्याः–11(1) / 01 / ई–6 / 2016–17, दिनॉक 05.11.2018 के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली–2016 के नियमों व प्राविधानों के कम में संलग्न सूची में कमॉक–01 से 1656 तक उल्लिखित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति उपचारिका के पद पर (समूह 'ख') वेतनमान रू0 9300–34800 /-- ग्रेड वेतन रू0 4600 /– एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900–142400 (लेवल–7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आदेश दिनांक 01.02.2019 में निहित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन की गई थी, जिसमें नव नियुक्त 04 उपचारिकाओं की संशोधित सूची कम संख्या–01 से 04 तक उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय / जनपद में तैनाती की जाती है।

उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(पद्‌माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या–19फ / 01–एन / लो0से0आ0च / 2018 / 501-08   तद्‌दिनॉक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

2– सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

3– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–8

4– संबंधित निदेशक / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला / सॅयुक्त / महिला चिकित्सालय / मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से कि उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त अभ्यर्थियों की स्व प्रमाणित अभिलेखों को उनके मूल अभिलेखों से स्वयं मिलान कर, उन पर यह अंकन करें कि 'मूल प्रतियों से भी मिलान किया एवं सही पाया' अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक द्वारा उपलब्ध करायें, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलेखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर, अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मी का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।

5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6– संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।

8– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस सम्बन्धित जनपद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्रा)
संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)

क्र.सं.	LIST SN	ROLL NUMBER	REGISTRATION NUMBER	NAME	HOME DISTRICT HI	Place of posting	संशोधित तैनाती
1	444	222636	71120033144	संध्या	लखनऊ	जिला महिला चिकित्सालय, हरदोई	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई
2	776	213157	71120012521	रीति शिखा दुबे	लखनऊ	जिला महिला चिकित्साल, बाराबंकी	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी
3	1497	218656	71130012618	संगीता	लखनऊ	ट्रामा सेन्टर, बाराबंकी	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी
4	1628	204806	71130036478	कु. ममता टण्डन	अम्बेडकरनगर	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, तरवां, आजमगढ़	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़

संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ०प्र०, लखनऊ

निदेशक (नर्सिंग)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ०प्र०, लखनऊ

27/2/19
(डा० पद्माकर सिंह)
महानिदेशक